न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 49 / प्रा0पत्र / 2019

1. घासीलाल आयु 55 वर्ष आ0 जग्गा कौम माली निवासी पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमाने तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. औमप्रकाश आ0 रामा बैरवा, जाति बैरवा, निवासी पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थीग अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी संख्या– 02 अधिवक्ता– श्री पंकज रॉयल

निर्णय दिनांक :– 05 / 10 / 2023

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा स0 507 / 727 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पेच की बावडी, पटवार मंडल पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी घासीलाल की खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी संलग्न है। कृषि भूमि खसरा स० 515 रकबा 10 बिस्वा 516 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पेच की बावडी, पटवार मंडल पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी घासीलाल की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है । प्रार्थना पत्र की चरण स० 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर जाने आने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि पर आम सडक से सिवायचक भूमि खसरा से0 507 / 726 की उतरी-पूर्वी सीमा में होकर आता जाता है। प्रार्थी खसरा सं0 507 / 726 की उतरी पूर्वी सीमा की भूमि को रास्ते के रूप में उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि याने रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो परिशिष्ट–अ है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण व 2 में वर्णित भूमि पर आने जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता विद्यमान नहीं होने से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 570 / 726 पर प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु सिवायचक भूमि पर मौके पर बने रास्ते की भूमि सरकारी सिवायचक होने से अतिकमी उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्ठा करते है जिससे प्रार्थी की भूमि पर आने जाने में बाधा उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी भूमि पर आने जाने ग्राम पेच की बावड़ी की सिवायचक भूमि खसरा सं0 507 / 726 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा सं0 515 तक घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है तथा उक्त भूमि पर रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड लटा नक्शा में रास्ते की तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । प्रार्थी ने खसरा संख्या 507 / 726 की उतरी पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मा में रास्ता घोषित कर रास्ते की तरमीम करने हेतु तहसीलदार सा० हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन तहसीलदार सा० ने न्यायालय से आदेश लाये बिना रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने से दिनांक: 20.4.19 को मना कर दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के समक्ष उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी आम सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 507/726 की उतरी पूर्वी सीमा पर प्रार्थी की भूमि खसरा सं० 515 तक 15 फिट चौड़ा रास्ता घोषित करवाकर रास्ते की तरमीम राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व लठा नक्शा में रास्ते के रूप में करवाये । प्रार्थी सिवायचक भूमि खसरा सव 507/726 की उतरी पूर्वी सीमा पर प्रार्थी की भूमि खसरा सं० 515 तक घोषित किये जाने रास्ते की भूमि की राशि राज्य सरकार में जमा करवाने को तत्पर है । तहसीलदार सा० द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने व रास्ते की तरमीम करने से दिनांक 20.4.19 को मना कर देने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। श्रीमान को धारा 251 क राज काश्त अधिनियम के तहत रास्ता घोषित करने एवं प्रार्थना पत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा सं० 507/726 वाके ग्राम पेच की बावडी की भूमि पर रास्ते की घोषणा चाही गई है उक्त भूमि ग्राम पेच की बावडी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है । न्यायालय श्रीमान द्वारा 251 क आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियम 69 के तहत तहसीलदार हिण्डोली से वांछित रास्ते की तथ्यात्मक रिपोर्ट मगवाई गई जिसमे तहसीलदार साहब ने दिनांक 6.3.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि खसरा सं० 510 रकबा 19 बिस्वा जो ओमप्रकाश आ० रामा कौम बैरवा निवासी पेच की बावडी की खातेदारी भूमि में से 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में प्रयुक्त होगी अर्थात चाहे गये रास्ते में एक बिस्वा भूमि ओमप्रकाश बेरवा की जा रही है य ओम प्रकाश की उक्त भूमि खसरास 510 में से 1 बिस्वा पर रास्ता घोषित किया जाना है ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 24.3.2021 से ओमप्रकाश को अप्रार्थी स० 2 पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पैच की बावडी में स्थित सडक (आम रास्ते) से खसरा सं० 507/726 व खसरा सं० 510 की उतरी पूर्वी सीमा पर 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा सं० 515 तक हेतु घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर रास्ते की राजस्व लटा नक्शा में तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने को तत्पर है अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी को उपलब्ध हो प्रदान की जाये ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा संख्या 510 में से 2 बिस्वा भूमि उपयोग में आना बताया जाने पर खसरा संख्या 510 के खातेदार ओमप्रकाश बैरवा को आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश करने पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर ओमप्रकाश बैरवा को अप्रार्थी संख्या 2 बनाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की तामिल होने पर उनके द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया। उसके उपरान्त कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर उनके विरूद्व दिनांक 18.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार सरकार की ओर से प्रस्तावित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 507/727 व खसरा संख्या 515, 516 वाके ग्राम पेच की बावडी पटवार मण्डल पेच की बावडी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 507/726 सिवायचक व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा 510 मे से 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 507/727 व खसरा संख्या 515, 516 वाके ग्राम पेच की बावडी पटवार मण्डल पेच की बावडी में पहुचने हेतु खसरा नम्बर 507/726 सिवायचक व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा 510 की उत्तरी–पूर्वी सीमा पर 15 फिट चौडे रास्ते में खसरा नम्बर 507/726 सिवायचक में से 2 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 510 खातेदारी में से 1 बिस्वा भूमि काम में आवेगी। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैक्लपिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 507/727 व खसरा संख्या 515, 516 वाके ग्राम पेच की बावडी पटवार मण्डल पेच की बावडी में पहुचने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार पेच की बावडी से टोकडा लिंक रोड से 15 फिट चौडे रास्ते में खसरा संख्या 507/726 सिवायचक में से 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 510 खातेदारी मे से 1 बिस्वा भूमि को प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते में आने वाली भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि आबादी से एक किलोमीटर से अधिक दूरी व आम सडक से लगवा है। जिसकी डीएलसी राशि 1038642/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 2 बिस्वा सिवायचक भूमि की डी0एल0सी0 राशि 18128/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 36256/रू– को निर्धारित मद में राजकोष में जमा कराने व खसरा संख्या 510 खातेदारी में से 1 बिस्वा भूमि की डी0एल0सी0 राशि 9064/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 18128/रू– भुगतान सम्बन्धित खातेदार को करने पर निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)